17 फरवरी 2017

जाली करेंसी की सप्लायर महिला गिरफ्तार

एनआईए ने एटीएस की मदद से आगरा से पकड़ा

अमर उजाला ब्यूरो

आगरा।

एत्माद्दौला के सुशील नगर की मस्जिद वाली गली में रहने वाले शेर अली की पत्नी फातिमा उर्फ लीची (41) को बृहस्पतिवार सुबह जाली करेंसी की सप्लाई के संगीन आरोप में गिरफ्तार किया गया। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की कोलकाता ब्रांच और एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड (एटीएस) की आगरा इकाई ने उसे उसके घर से पकड़ा है। वह जाली करेंसी को सब्जी मंडी में खपाती थी। इसके अलावा अन्य सप्लायरों के पास इसकी खेप भी पहुंचाती थी। उससे पूछताछ के बाद कई और लोग पकड़े जा सकते हैं।

लीची का मायका बांग्लादेश के चापई नवाबगंज जिले के शिवगंज में है। उसके पड़ोसी अनवार उल इस्लाम (50) को 18 जनवरी 2016 को बांग्लादेश बार्डर पार करते समय पश्चिम बंगाल पुलिस ने दो लाख की जाली करेंसी के साथ पकड़ा था। उससे पूछताछ में ही लीची का नाम सामने आया था।

गिरफ्तार महिला फातिमा।

खाते में मिले तीन लाख

लीची का खाता एत्माद्दौला क्षेत्र की एक बैंक शाखा में है। इसमें तीन लाख रुपये जमा मिले हैं। इसके अलावा 50 हजार, 30 हजार, एक लाख रुपये जमा किए जाने के वाउचर उसके पास मिले हैं। खाते से हर महीने लाखों का ट्रांजेक्शन हुआ है।

एक बोरी जाली करेंसी जलाई, एक यमुना के पानी में बहाई

नोटबंदी की घोषणा के ठीक बाद फातिमा के घर में एक -एक हजार के जाली नोटों से संदूक भरा रखा था। इसमें लगभग दो बोरी नोट थे। उसने इन्हें बैंक में जमा कराने की कोशिश की। कामयाब न होने पर उसने एक बोरी नोट घर में ही जला दिए। दूसरी बोरी के नोट ले जाकर यमुना नदी में बहा दिए। यह जानकारी उसने एनआईए को पूछताछ में दी है।

नकली नोट की तस्करी में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा: बांग्लादेश से नकली नोटों का कारोबार करने वाले बड़े गिरोह से एत्मादौला के सुशील नगर की महिला जुड़ी थी। 28 साल पहले अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर आई महिला का पूरा परिवार यहीं बस गया था। सरगना की गिरफ्तारी के बाद राज खुलने पर नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी और उप्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) ने गुरुवार को छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से एक हजार के दो नकली नोट भी बरामद हुए हैं।

बांग्लादेश के चपई नवाब गंज जिले में शिवगंज थाना क्षेत्र के खुरियाल गांव निवासी 50 वर्षीय तस्कर अनारुल इस्लाम भारत में नकली नोटों के नेटवर्क का सरगना है। 18 जनवरी 2016 को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के थाने कालिया चक में आठ लाख के नकली नोटों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। ये पांच सौ और एक हजार के नोट थे। बड़ा गिरोह होने के कारण 25 फरवरी 16 को एनआइए ने जांच हाथ में ले ली। दिल्ली शाखा में मुकदमा दर्ज कर अनारुल को रिमांड पर लिया। उसने पूछताछ में बताया कि गिरोह में सुशील नगर में रहने वाली फातिमा भी है। उसने बताया कि अक्टूबर 2015 में वह एक माह तक उसके घर रुका और यहां पूरा नेटवर्क बनाया। उसके बाद से नकली नोट सप्लाई कर रहा था।

गुरुवार को एनआइए ने एटीएस के साथ छापा मारकर फातिमा उर्फ लीची पत्नी शेरअली इलियास को गिरफ्तार कर लिया। फातिमा को 14 साल की उम्र में 23 वर्षीय शेरअली निकाह कर अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर उसे 28 साल पहले भारत लाया था। अनारुल फातिमा के गांव का ही रहने वाला है। उससे एक हजार के दो नकली नोट, पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक, जमा की रसीदें, आधार कार्ड, मोबाइल फोन और बांग्लादेश के फोन नंबर लिखी पर्चियां बरामद हुई हैं।

एनआइए के डिप्टी एसपी कंचन मित्रा, एटीएस इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक, फातिमा सब्जी मंडी में सब्जी बेचती थी, इसलिए वह बांग्लादेश से आने वाले नकली नोटों को मंडी में किसानों को दे देती थी। नोटबंदी होने के बाद उसने नकली नोटों को मुहल्ले की महिलाओं के माध्यम से बैंक में जमा कराने की कोशिश की, सफलता न मिलने पर घर में इनको जला दिया। जांच एजेंसी फातिमा को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई।

अमर उजाला **दैनिक जागरण**

एनआईए एवं यूपी पुलिस एटीएस की संयुक्त टीम ने बांग्लादेश महिला को जाली नोट के साथ आगरा में गिरफ्तार किया ।एनआईए तथा उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने एनआईए की वांछित अभियुक्त बांग्लादेशी महिला नागरिक फातिमा और पत्नी शेर अली मुनगा पुत्री हयात अली उर्फ कालू निवासी पारा चौक थाना शिवगंज डिवीजन राजशाही जिला चौपाई नवाबगंज बांग्लादेशी को आज आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

उपरोक्त बांग्लादेशी महिला एनआईए द्वारा वर्ष 2016 में एक नकली नोट प्रकरण के अभियोजन में वांछित अभियुक्त थी । एनआईए बांग्लादेशी महिला को आगरा से ट्रांजिट रिमांड बनवाकर कोलकाता संबंधित न्यायालय में पेश करेगी। महिला के पास से एक एक 1000 के दो भारतीय जाली नोट पीएनबीबैंक का पासबुक आधार कार्ड मोबाइल फोन 3 सिम कार्ड तथा बांग्लादेश के फोन नंबर लिखी पर्चियां बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अनार उल इस्लाम पुत्र अब्दुल समद निवासी खोरा थाना शिवगंज डिवीजन रास्ता ही जिला छपाई नवाबगंज बांग्लादेश को 18 जनवरी 2016को 800000रूपय नकली नोट के साथ कालिया चौक जिला मालदा पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया गया था 25 फरवरी 2016 को इस प्रकरण की विवेचना एनआईए कोलकाता ने अपने प्रयवेक्षणआधीन किया विवेचना में फातिमा का नाम प्रकाश में आने के बाद इस प्रकरण में फातिमा को वांछित किया था।

फातिमा वर्तमान में सुशील नगर मस्जिद वाली गली थाना एत्माद्दौला क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश में निवास कर रही थी बिना वीजा पासपोर्ट के देश में अवैध रूप से रहने में महिला के मददगारों तथा उसके पास से बरामद दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।